संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./2020/ 125 भोपाल, दिनांक 17.02.2020

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक

जिला :— खरगौन, मंदसौर, जबलपुर, भोपाल एवं इंदौर, म.प्र.।

विषय :— **Quarantine में रखे गए चीन के वुहान शहर से लौटे यात्रियों को नोवल कोराना वायरस (COVID-2019) बीमारी के लिए 14 दिनों तक निगरानी में रखने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हाल ही में चीन के हुबई राज्य के वुहान शहर में एक नये प्रकार के कोरोना वायरस (Novel corona virus COVID-2019) से निमोनिया के प्रकरण पाये गये है। भारत सरकार द्वारा चीन के वुहान शहर एवं अन्य प्रान्तों से लोटे भारतीयों को 14 दिनों तक Quarantine centers में निगरानी में रखा गया था जिसमें मध्यप्रदेश के 8 यात्री **(खरगौन–2, मंदसौर–1, जबलपुर–3, भोपाल–1 एवं इंदौर–1)** थे। **(लाईन लिस्ट संलग्न)**

Quarantine centers से यात्रियों के गृह जिलों में आने पर जिला सर्विलेंस अधिकारी या जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें मास्क दे तथा अपना मोबाईल न. प्रदान करें जिससे किसी भी समय आवयश्कता पड़ने पर संपर्क किया जा सके। इन सभी यात्रियों का 14 दिनों तक नोवल कोराना वायरस (COVID-2019) बीमारी के लिए निगरानी की जाना है, इस संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये गये है :–

1. **Quarantine centers से यात्रियों के घर वापस आते समय :–**

- घर वापस आते समय :– 14 दिनों के लिए अपनी संपूर्ण जानकारी (मोबाईल न., घर का पता, राज्य), Quarantine centers को भी उपलब्ध करावे।
- 14 दिनों के लिए अपनी संपूर्ण जानकारी (मोबाईल न., घर का पता), सम्बंधित जिला सर्विलेंस ऑफिसर एवं जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट को उपलब्ध करावे ।
- घर जाते समय मास्क का उपयोग करें।
- लगातार हाथ सैनिटाईजर, साबुन, पानी से धोए।
- श्वसन शिष्टाचार का उपयोग करें (अपनी नाक और मुंह को कवर करने के लिए टिशू पेपर / रूमाल का उपयोग करें, खाँसी / छींकते समय दूरी बनाए रखें।
- अपने तापमान को रोजाना दो बार मॉनिटर करें।

निरंतर.....

५।

- विमान बोर्डिंग पास/रेल टिकट/टैक्सी द्वारा यात्रा का विवरण (ड्राइवरों के संपर्क नंबर सहित) संभाल के रखें।

2. **घर पहुँचने के बाद :**

- भीड़–भाड़ वाली जगहों से बचें।
- अगले 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखें।
- प्रतिदिन दो बार शरीर के तापमान की जांच करें।
- हर समय :
    - व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें।
    - बार–बार साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
    - श्वसन शिष्टाचार का उपयोग करें (अपनी नाक और मुंह को ढंकने के लिए टिशू पेपर/रूमाल का उपयोग करें, खाँसी/छींकते समय, आप का सामना करने वाले व्यक्ति से मुंह मोड़ लें)।
- बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होने पर स्वास्थ्यकर्मी, राज्य एवं जिला सर्विलेंस इकाई को सूचित करें एवं निकट अस्पताल में चिकित्सक की सलाह ले।
- चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी से बात कर उनका मोबाइल नम्बर सेव करें।
- 14 दिनों तक प्रतिदिन स्वास्थ्यकर्मी को अपने स्वास्थ्य की जानकारी देवे।

3. **Quarantine centers छोड़ने के बाद लक्षण होने पर :–**

- बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होने पर स्वास्थ्यकर्मी, राज्य एवं जिला सर्विलेंस इकाई को सूचित करें एवं निकट अस्पताल में चिकित्सक की सलाह ले।
- लक्षण होने पर तुरन्त ही सर्जिकल मास्क का उपयोग करें।
- परिवार के सदस्यों के बीच में से देख–भाल करने वाले को मास्क पहनने, हाथ को बार–बार धोन की सलाह दे।
- चिकित्सीय सलाह के अनुसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होए।
- एंबुलेंस से अस्पताल जाने पर, पूर्व में दिये गये एंबुलेस के लिए **सफाई और डिसिन्फेक्शन** में दिये गये प्रोटोकाल का पालन करें।
- अस्पतालों में Infection prevention control guideline का पालन करें।
- यदि और सहायता की आवश्यकता हो, तो स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण कक्ष को कॉल करें +91–11–23978046

निरंतर.....

4. घर में परिवार के अन्य सदस्यों को सलाह :
   - हाथों को बार–बार साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
   - लक्षण होने पर तुरन्त ही स्वास्थ्यकर्मी, राज्य एवं ज़िला सर्विलेंस इकाई को सूचित करें।
   - यदि मरीज को स्वास्थ्य सुविधा में स्थानांतरित करने की सलाह दी जाती है :
     - उपचार करने वाले डॉक्टर/स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और राज्य और जिला निगरानी अधिकारी के साथ अब तक के सभी संपर्कों की सूची देवें।
     - परिवार के सदस्य घर में आइसोलेशन में रहें, जब तक नमूने का परिणाम नकारात्मक न हो।
     - बिस्तर/कपड़ों/कमरे/सभी व्यक्तिगत सामानों का उचित कीटाणुशोधन (Dis-infection) 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट समाधान के साथ पालन किया जाना चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त **Quarantine centers** से आये हुए यात्रियों की निर्धारित फार्मेट में नोवल कोरोना वायरस की बीमारी की रिपोर्ट प्रतिदिन दो बार राज्य सर्विलेंस इकाई के ई–मेल (idspssu@mp.gov.in) पर नियमित रूप से भेजी जावे।

संलग्न :– लाईन लिस्ट संलग्न।

(डॉ.वीणा सिन्हा)
अतिरिक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.
भोपाल, दिनांक......................

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./2020/
प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
5. संबंधित क्षेत्रिय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं।
6. संबंधित जिला सर्विलेन्स अधिकारी/एपिडिमियोलॉजिस्ट म.प्र.।

अतिरिक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.